न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2022(2022/837)

1. गोपाल पुत्र महावीर
2. जगदीश पुत्र सत्यनारायण
3. दशरथ पुत्र कैलाश
4. सुरेश पुत्र कैलाश
5. जगदीश पुत्र प्रहलाद
6. रमेश पुत्र श्रीकिशन
7. ओमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन
8. राधेश्याम पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी केकड़ी हाल निवासी भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक 24/01/2023

श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 11.08.2022 की पालना में आज न्यायालय में पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भीमडावास के खाता संख्या 93—380, 281—240, 100—85, 279—236 में दर्ज खसरान वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा खाता संख्या नया पुराना 443—357 श्री मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके पुजारी भी वाददीगण है तथा मन्दिर के नाम दर्ज आराजी को वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी में आने—जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 2769/1290 रकबा 0.16 हैक्ट किस्म गै.मु. रास्ता से होकर ही है। अन्य कोई रास्ता उक्त आराजीयात में आने—जाने का नही है। वादीगण उक्त कदीमी रास्ते का ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। रास्ते की भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई वास्ता सरोकार व हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत बद है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद वर्णित आराजी पर आने—जाने हेतु खसरा नम्बर 2769/1290 में बने एक मात्र रास्ते पर जबरन कब्जा कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है एवं एलानियां धमकी दे रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30.07.2021 को नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानूनों के विरूद्ध जाकर वादीगण के कदीमी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। रास्ता अवरूद्ध होने से हमारी फसल काश्त नही हो पायेगी। ग्राम भीमडावास के खाता संख्या 98—380, 281—240, 100—85, 279—236 में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 2769/1290 की मेड से 30 फीट का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार प्राप्त किया गया। बाद

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2022(2022/837)

1. गोपाल पुत्र महावीर
2. जगदीश पुत्र सत्यनारायण
3. दशरथ पुत्र कैलाश
4. सुरेश पुत्र कैलाश
5. जगदीश पुत्र प्रहलाद
6. रमेश पुत्र श्रीकिशन
7. ओमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन
8. राधेश्याम पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र भागीरथ जाति रेगर निवासी केकड़ी हाल निवासी भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

पैरोकार सरकार(जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक 24/01/2023

श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के आदेश दिनांक 11.08.2022 की पालना में आज न्यायालय में पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भीमडावास के खाता संख्या 93—380, 281—240, 100—85, 279—236 में दर्ज खसरान वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा खाता संख्या नया पुराना 443—357 श्री मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके पुजारी भी वाददीगण है तथा मन्दिर के नाम दर्ज आराजी को वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी में आने—जाने हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 2769/1290 रकबा 0.16 हैक्ट किस्म गै.मु. रास्ता से होकर ही है। अन्य कोई रास्ता उक्त आराजीयात में आने—जाने का नही है। वादीगण उक्त कदीमी रास्ते का ही उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। रास्ते की भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई वास्ता सरोकार व हक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत बद है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद वर्णित आराजी पर आने—जाने हेतु खसरा नम्बर 2769/1290 में बने एक मात्र रास्ते पर जबरन कब्जा कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है एवं एलानियां धमकी दे रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 30.07.2021 को नाजायज व अनाधिकृत तरीके से नियम एवं कानूनों के विरूद्ध जाकर वादीगण के कदीमी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। रास्ता अवरूद्ध होने से हमारी फसल काश्त नही हो पायेगी। ग्राम भीमडावास के खाता संख्या 98—380, 281—240, 100—85, 279—236 में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 2769/1290 की मेड से 30 फीट का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट/जवाब सरकार प्राप्त किया गया। बाद

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)